Rajasthan Patrika
31/01/2009

विद्युत विभाग की धरातल स्तरीय बैठक

समस्याओं के निपटारे के निर्देश

पत्रिका संवाददाता

खाजूवाला, 30 जनवरी। विद्युत सुधार व क्षमतावर्धन पर प्रायोगिक परियोजनाओं के धरातल स्तरीय बैठक शुक्रवार शाम डूडी कटले में हुई।

बैठक में अधिकारी ने अवगत करवाया कि केन्द्रीय विद्युत अधिनियम 2003 में यह प्रावधान हैं कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए निवारण का समाधान फॉर्म का गठन करके किया जा सकता हैं। अधिकारी ने बताया कि हर मंगलवार को विद्युत सम्बन्धित समस्या कार्यालय में दर्ज करवाकर निराकरण करवा सकते हैं।

खाजूवाला के डूडी कटले में धरातल स्तरीय बैठक में जानकारी देते हुए अधिकारी।

मण्डी के भंवरलाल सोलंकी, नेमीचन्द सोनी, राकेश अरोड़ा, कमल ओझा आदि ने विद्युत सम्बन्धित समस्याओं के बारे में अधिकारी को अवगत करवाकर उनके निराकरण के बारे में जानकारी ली गई। सामान्य रूप से शिकायत को 30 दिनों में निपटाया जाना चाहिए। जबकि 45 दिनों से अधिक देरी नहीं की जाए।